

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2019/ 1920


दिनांक: 22/07/19

:-आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:-

कार्यालय के आदेश क्रमांक 1174-87 दिनांक 24.06.2019 से जारी आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आन्तरिक अंकेक्षण अवधि	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1	श्री अशोक शर्मा, AAO I मो० न० 8209505679 दल सदस्य श्री दीप चन्द वर्मा, जोन मुख्यालय-जयपुर	सामु स्वा केन्द्र, माण्डल, भीलवाड़ा	प्रा. से 03/19	02.07.19 से 19.07.19	02.07.19 से 25.07.19
2	श्री खेमराज माहेश्वरी, AAO I मो० न० 9414781707 दल सदस्य श्री सुनील झिंगणिया, श्रीमती जूली माहेश्वरी, क० लेखाकार जोन-जयपुर प्रथम	मु. चि एव स्वा. अधिकारी, जयपुर-II	04/16 से 03/19	10.07.19 से 17.07.19	15.07.19 से 25.07.19
3	श्री राजकुमार AAO I मो नं. 8619394650 दल सदस्य जोन-भरतपुर	ब्लॉक मु चि अधिकारी, हिण्डौन, करौली	03/12 से 03/19	24.06.19 से 19.07.19	पूर्ववत्

अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(10) वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य निर्धारित अवधि में सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायेंगे।



22/7/19

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2019/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर। जयपुर, भरतपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय।
5. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिण्डौन (करौली)।
6. चि० अधि० प्रभारी, सीएचसी, माण्डल (भीलवाड़ा)।
7. श्री अशोक कुमार शर्मा, AAO I, श्री खेमराज माहेश्वरी, AAO I, श्री राजकुमार AAO I,
श्री दीपचन्द वर्मा, श्री सुनील झिंगणिया, श्रीमती जूली माहेश्वरी, क० लेखाकार, जयपुर-प्रथम/जयपुर,
मुख्यालय/जोन-भरतपुर को पालनार्थ।
8. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


22/7/19

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर